तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रणवीर सिंह बनाम राज्य सरकार	
24/02/25	पत्रावली पेश हुई। अतः प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसलानुसार ही नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— सुश्री भारती गुप्ता(आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांक:— 21 / 2024

1. रनवीर सिंह
2. चरन सिंह
3. वीरेन्द्र सिंह पुत्रान भगवान सिंह जाति गूजर निवासी खरका तहसील उच्चैन।

....................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय   दिनांक:—24.02.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 651 / 2.03है0 वाके ग्राम खरका तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 439 था तथा दौराने सैटलमैंन्ट उक्त आराजी का नया खसरा नम्बर 651 बनाया गया तथा दौराने सेटलमैंन्ट उक्त आराजी वर्णित का नया राजस्व नक्शा भी बनाया गया तथा नये राजस्व नक्शा में उक्त आराजी का रकवा कम कर दिया एव नये राजस्व नक्शा से पुराने राजस्व नक्शा से तुलना करने पर रकवा पुराने राजस्व नक्शा एवं हाल जमाबन्दी से मेल नहीं खाता है। पुराने राजस्व नक्शा से नये राजस्व नक्शा से तुलना पर स्पष्ट होता है कि तरफ पश्चिम के नये राजस्व नक्शा में 9 गट्ठे कम कर दिये है एवं तरफ दक्षिण को 8 गट्ठे कम कर दिये है इस प्रकार नई जमाबंदी एवं पुराने राजस्व नक्शा से तुलना करने पर नये राजस्व नक्शा से रकवा बराबर नहीं होता है एवं रकवा कम पडता है। जब प्रार्थी अपनी आराजी में दौराने सेटलमैंन्ट हुई अशुद्धि को शुद्ध करवाने हेतु तहसीलदार उच्चैन के पास गया तो तहसीलदार उ[illegible] सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थीगण ने [illegible] पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2075–78 के अनुसार वाके ग्राम खरका के आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 2.03हे0 संवत् 2075–78 के अनुसार वाके ग्राम खरका के आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 2.03हे0 किस्म चाही तृतीय चरनसिंह, वीरेन्द्रसिंह, रनधीरसिंह पिसरान भगवानसिंह जाति गुजर नि खरका के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–72 के अनुसार आराजी ख.नं. 439 रकबा 12–11बीघा किस्म गै.मु.आगर रनधीर, चरनसिंह, वीरेन्द्रसिंह पिसरान भगवानसिंह जाति गुजर नि. खरका के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान नक्शा मोमिया शीट पर खसरा नम्बर 651 की रकबा बरारी करने पर लगभग 1.97हे0 रकबा बैठ रहा है, जो कि जमाबन्दी में दर्ज रकबा से लगभग 0.06हे0 कम है। उक्त खसरा नम्बर दो ग्राम खरका व रूध खरका की सीमा पर स्थित है। उक्त खसरे के पड़ोसी खसरा की रकबा मिलान करने पर उनका भी रकबा पूरा करना पटवार स्तर पर सम्भव नहीं है। उक्त स्थिति में रकबा पूरा करने पर सम्पूर्ण गांव की देह हिलती है।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खरका ग्राम मे स्थित है जिसका दौराने सैटलमेन्ट नया राजस्व नक्शा तैयार किया गया था। नये नक्शे को पुराने नक्शे से तुलना करने पर 0.06हे0 कम बैठता है जिसको तहसीलदार उच्चैन के द्वारा भी अपने जबाव में स्वीकार किया गया है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर नक्शा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जबाव तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर के राजस्व नक्शे के क्षेत्रफल में 0.06हे0 की कमी होना बताया गया है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर की पैमाइश से सम्पूर्ण ग्राम की देह हिलती है जिसके कारण उक्त की शुद्धि पटवार स्तर से किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharti Gupta
Date: 2025.08.28 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर